संख्या-24/2025/001-327-24-1-2025-81 P -2015

प्रेषक,

निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

सेवा में,

अनुपम शुक्ला,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26-03-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मद-46 के लेखाशीर्ष 2045-00-103-03-00 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-11448 मु0/एक-5(बजट)/2024-25, दिनांक 13.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 2045001030300 के मानक मद-01 में हो रही बचत की धनराशि रूपये 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मद-46 के कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग [illegible] वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय उत्तरदायी होगें।

(4) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक , विद्युत सुरक्षा निदेशालय का होगा।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च , 2024 की शर्तों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1 ,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2045001030300 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मानक मद 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनुपम शुक्ला

विशेष सचिव

संख्या-24/2025/001-327(1)-24-1-2025-81 P -2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-11001

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अनुपम शुक्ला

विशेष सचिव